पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक : 1508/अका./2005 रायपुर, दिनांक : 29/6/2005

:: अधिसूचना ::

छत्तीसगढ़ समन्वय समिति की नवीं बैठक दिनांक 05.03.2005 में लिए गए निर्णयानुसार अध्यादेश क्रमांक 5 एवं 6 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :–

अध्यादेश क्रमांक 5 (Conduct of Examination)

(1) पुनर्मूल्यांकन में पारिश्रमिक राशि रू. 20/– प्रति उत्तर–पुस्तिका के स्थान पर रू. 15/– प्रति उत्तर–पुस्तिका किया जाता है ।

(2) पुनर्मूल्यांकन के पश्चात यदि छात्र मूल प्राप्तांक से कम अंक प्राप्त करता है तो ऐसी स्थिति में कम हुए प्राप्तांकों के बराबर उसके प्राप्तांक माने जावेंगे । पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान एम.बी.बी.एस., नर्सिंग, बी.एच.एम.एस. एवं डेन्टल कोर्सेस के लिए लागू नहीं होगा ।

अध्यादेश क्रमांक 6 (Examination General)

(i) पुनर्मूल्यांकन हेतु नियुक्त दो परीक्षकों में से कम से कम एक परीक्षक विश्वविद्यालय परिक्षेत्र के बाहर का होना आवश्यक है तथा मुख्य परीक्षक द्वारा मूल्यांकित 10 उत्तर–पुस्तिकायें या यदि उससे परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए हो, तो सभी के उत्तर–पुस्किाओं को प्रेषित किए जाने सम्बन्धी वर्तमान प्रावधान को विलोपित किया जाता हैं ।

(ii) वर्तमान पाठ में निम्नलिखित अंश को जोड़कर पढ़ा जावे –

"Provided further that revaluation clause shall not be applicable to the examination of MBBS, Nursing, BHMS and Dental courses."

उक्त संशोधन सत्र 2005–2006 से प्रभावशील होगा ।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृ.क्रमांक : 1509/अका./2005 रायपुर, दिनांक : 29/06/2005

प्रतिलिपि :–

1. प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
2. विभागाध्यक्ष, समस्त अध्ययन शाला,
3. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (गोपनीय)/परीक्षा सेमेस्टर,/विकास/प्रशा.,
5. उप कुलसचिव (परीक्षा),
6. वित्त अधिकारी/ अतिरिक्त संचालक, आवासीय अंकेक्षण,
7. कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।